झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

पंचम् झारखण्ड विधान सभा
एकादश (बजट) सत्र
वर्ग–05

निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न, शुक्रवार, दिनांकः– 26,फाल्गुन,1944 (श०) / 17 मार्च, 2023 (ई०) को

झारखण्ड विधान सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क० सं०	विभागों को भेजी गई सां०संख्या	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
183-	अ०सू०–18	डॉ० इरफान अंसारी,	एंबुलन्स की संख्या बढ़ाना।	स्वा०चि०शि० एवं परि०क०	24-02-23
184-	अ०सू०–03	श्री विनोद कुमार सिंह,	बीमा योजना का लाभ देना।	स्वा०चि०शि० एवं परि०क०	17-02-23
185	अ०सू०–24	श्री बिरंची नारायण,	पदाधिकारियों पर कार्रवाई।	उत्पाद एवं मद्य निषेध	24-02-23
186	अ०सू०–47	श्री राज सिन्हा,	पदाधिकारी पर कार्रवाई।	स्वा०चि०शि० एवं परि०क०	05-03-23
187	अ०सू०–12	श्री अमित कुमार यादव	विभाग से मुक्त कराना।	रा०नि० एवं भूमि सुधार	22-02-23
188	अ०सू०–38	श्री सरयु राय,	कार्रवाई करना।	स्वा०चि०शि० एवं परि०क०	01-03-23
189	अ०सू०–41	श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह,	पदा०/कर्मचारी पर कार्रवाई करना।	स्वा०चि०शि० एवं परि०क०	01-03-23
190	अ०सू०–25	श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की,	अधिकार बहाल कराना।	रा०नि० एवं भूमि सुधार	24-02-23
191	अ०सू०–11	श्री बिरंची नारायण,	नियुक्ति कराना।	विधि	22-02-23
192	अ०सू०–40	श्री सुदेश कुमार महतो,	कार्य से मुक्त करना।	स्वा०चि०शि० एवं परि०क०	01-03-23
193	अ०सू०–43	श्री सरयु राय,	त्रुटियों का निराकरण।	उत्पाद एवं मद्य निषेध	28-02-23
194	अ०सू०–45	श्री समीर कुमार मोहन्ती,	संचालन की अनुमति देना।	स्वा०चि०शि० एवं परि०क०	02-03-23

कृ०पृ०उ०.....2

01	02	03	04	05	06
195-	अ0सू0-15	श्री राजेश कच्छप,	नियुक्ति कराना।	श्र0नि0प्र0एवं कौशल विकास	23-02-23
196-	अ0सू0-26	श्री राजेश कच्छप,	प्रभुता की रक्षा करना।	रा0नि0 एवं भुमि सुधार	24-02-23
197-	अ0सू0-36	श्री प्रदीप यादव,	प्रावधान कराना।	स्वा0चि0शि0 एवं परि0क0	01-03-23
198-	अ0सू0-35	श्री प्रदीप यादव,	ठोस कार्य योजना लागू कराना।	स्वा0चि0शि0 एवं परि0क0	01-03-23
199-	अ0सू0-39	श्री ढुलू महतो,	लाभुकों को ईलाज कराना।	स्वा0चि0शि0 एवं परि0क0	01-03-23
* 200-	अ0सू0-27	श्री जय प्रकाश भाई पटेल,	पदाधिकारियों पर कार्रवाई।	श्र0नि0प्र0एवं कौशल विकास	25-02-23
201-	अ0सू0-19	श्री अमित कुमार यादव,	विभाग से मुक्त कराना।	रा0नि0 एवं भुमि सुधार	24-02-23

राँची,
दिनांक-17 मार्च,2023 ई0।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-झा0वि0स0प्रश्न-06/2020-1119/वि0स0,राँची,दिनांकः-13/03/23

प्रतिलिपिः- झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/ माननीय मंत्रिगण/ माननीय संसदीय कार्य मंत्री/ मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

नीलेश रंजन
13/3/2023
(नीलेश रंजन)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-झा0वि0स0प्रश्न-06/2020-1119/वि0स0,राँची,दिनांकः-13/03/23

प्रतिलिपिः- आप्त सचिव,अध्यक्षीय कार्यालय एवं सचिवीय कार्यालय/संयुक्त सचिव (प्रश्न),झारखण्ड विधान सभा को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय एवं संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

नीलेश रंजन
13/3/2023
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-झा0वि0स0प्रश्न-06/2020-1119/वि0स0,राँची,दिनांकः-13/03/23

प्रतिलिपिः-कार्यवाही शाखा/ आश्वासन शाखा,ऑनलाईन एवं बेबसाईट शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

नीलेश रंजन
13/3/2023
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

13/03/23

* अब नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के पत्रांक-426 दिनांक-01/03/23 द्वारा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में स्थानान्तरित।

183

श्री (डॉ0) इरफान अंसारी, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 17.03.2023 को पूछे जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न सख्या अ0सू0–18 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि आपातकालीन स्थिति एवं स्वास्थ्य सुविधा के दृष्टिगत प्रखण्ड स्तर पर एक–एक एम्बुलेंस 108 अन्तर्गत उपलब्ध कराया गया है;	स्वीकारात्मक। झारखण्ड राज्य अन्तर्गत 287 BLS एवं 50 ALS कुल 337 एम्बुलेंस की सेवा 108 के माध्यम से नागरिकों को प्रदान की जा रही है। सभी BLS सामान्यतः प्रखण्ड स्तर पर एवं ALS जिला स्तर पर अस्पताल एवं अन्य केन्द्रों पर उपलब्ध रहते है। परन्तु 108 के तहत कार्यरत एम्बुलेंस की सेवा प्रखण्ड की सीमा क्षेत्र तक सीमित नहीं है। आवश्यकतानुसार किसी भी एम्बुलेंस की सेवा प्रखण्ड/जिला की सीमा के बाहर भी ली जा सकती है।
2.	क्या यह बात सही है कि प्रखण्डों में एक से अधिक कॉल 108 में किये जाने की स्थिति में आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध नहीं हो पाती है, जिसके कारण रोगियों के परिजनों को घोर कठिनाईयों का सामना करना पडता है। कई दृष्टांत ऐसे भी है कि जिसमें रोगियों की मृत्यु भी हुई है;	• सभी जिलों में 108 एम्बुलेंस के अतिरिक्त अन्य श्रोत से क्रय किये गये एम्बुलेंस भी कार्यरत है। आवश्यकतानुसार एम्बुलेंस की सेवा भी नागरिकों को दी जाती है। इसके अतिरिक्त दूरगामी क्षेत्रों के लिए वित्तीय वर्ष–2021–22 में 175 बाइक एम्बुलेंस स्वीकृत है जिसका क्रय प्रक्रियाधीन है। • JMHIDPCL कार्यालय स्तर से 206 नये एम्बुलेंस के क्रय हेतु M/S Sanatan Bus Body Builders Pvt. Ltd. द्वारा 115 (BLS-88, ALS-20 & NN-7) एम्बुलेंस की आपूर्ति JMHIDPCL कार्यालय को की गई है। उक्त 115 आपूरित नये एम्बुलेंस में से जाँचोपरांत 75 एम्बुलेंस (BLS-48, ALS-20 & NN-7) राज्य वेयर हाउस नामकुम को हस्तगत कर दी गई है, जिसे शीघ्र आरंभ किये जाने की योजना है। • विभाग के द्वारा नागरिकों को एम्बुलेंस की बेहतर सेवा उपलब्ध कराने हेतु हर संभव प्रयास किए जा रहे है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार लोकहित में प्रत्येक प्रखण्ड में एम्बुलेंस की संख्या को उचित संख्या में बढाने का विचार रखती है, हॉ तो कब तक, नही तो क्यो?	वस्तु स्थिति उपरोक्त कंडिका–2 में स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0 : 21/वि0स0–06–07/2023 74(21) स्वा0 राँची, दिनांक– 14/03/2023.

प्रतिलिपि : उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके 370/वि0स0 राँची, दिनांक 24.02.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14.03.23

सरकार के उप सचिव।

(184)

श्री बिनोद कुमार सिंह, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक-17.03.2023 को सदन में पूछा जाने वाला अल्प-सूचित प्रश्न सं0-अ0सू0-03 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1. क्या यह बात सही है, कि झारखण्ड राज्य के पदाधिकारी एवं कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना से आच्छादित नहीं है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है, कि स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या-753(6), दिनांक-25.10.2014 के अनुसार झारखण्ड सरकार अपने पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को वार्षिक प्रिमियम पर स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ देने हेतु कृत संकल्पित है;	झारखण्ड सरकार के संकल्प-753(6) दिनांक-25.10.2014 के द्वारा राज्य सरकार के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रति माह दिये जा रहे चिकित्सा भत्ता को समाप्त करते हुए इसके स्थान पर वार्षिक प्रीमियम पर राज्य कर्मी को स्वयं के साथ पत्नी, दो बच्चों (पुत्र 25 वर्ष की आयु तक बशर्ते बिल्कुल बेरोजगार हो तथा माता-पिता पर आश्रित हो एवं अविवाहित/विधवा/परित्यक्ता पुत्री) तथा आश्रित माता-पिता के लिए एवं वैसे सेवा निवृत राज्य कर्मियों के लिए जो प्रीमियम का भुगतान स्वयं करना चाहेंगे, हेतु स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिए जाने का प्रावधान किया गया है।
3. क्या यह बात सही है कि स्वास्थ्य बीमा योजना लागू नहीं होने के कारण सरकार को राज्य के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता एवं प्रतिपूर्ति दोनों का भुगतान कराना पड़ता है;	स्वीकारात्मक।
4. क्या यह बात सही है कि चिकित्सा भत्ता एवं चकित्सा प्रतिपूर्ति मद में सरकार को 200 करोड़ से अधिक की राशि प्रतिवर्ष व्यय करना पड़ती है;	स्वीकारात्मक। चिकित्सा भत्ता मद में वर्ष 2021-22 में 220.49 करोड़ रू0 तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति मद में 8.38 करोड़ रू0 के व्यय प्रतिवेदित है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में चिकित्सा भत्ता के लिए 219.10 करोड़ का बजट अनुदान प्रावधानित है।
5. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार अपने संकल्प के आलोक में अपने पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को वार्षिक प्रमियम पर स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ देने का विचार रखती है; हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	राज्य सरकार के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों/सेवानिवृत कर्मियों को वार्षिक प्रिमियम पर स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिए जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांकः-13/वि0स0-07-01/2023 68(13) स्वा0/राँची/दिनांकः- 16/3/2023

प्रतिलिपिः-उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, को उनके ज्ञाप सं0-53 वि0स0 दिनांक-17.02.2023 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.03.23

सरकार के उप सचिव।

श्री बिरंची नारायण, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–17.03.2023 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–24 का उत्तर

क्र0	प्रश्नकर्त्ता– श्री बिरंची नारायण, माननीय स0वि0स0	उत्तरदाता–माननीय प्रभारी मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर
1	क्या यह बात सही है कि दिनांक–15.02.2023 तक राज्य में शराब बिक्री से 1607 करोड़ रूपये प्राप्त हुए है, जबकि वित्तीय वर्ष–2022–23 हेतु शराब बिक्री से मिलने वाले राजस्व का लक्ष्य 2500 करोड़ निर्धारित किया गया था;	आंशिक स्वीकारात्मक। – वित्त विभाग के द्वारा वित्तीय वर्ष–2022–23 के लिए विभाग को आय–व्ययक अनुमान (Budget Estimate) में 2500 करोड़ रूपये का राजस्व लक्ष्य दिया गया था। चालू वित्तीय वर्ष के माह मार्च, 2023 (दिनांक–14.03.2023) तक jkuber.jharkhand.gov.in के वेबसाईट में 1810.98 करोड़ रूपये राजस्व संग्रहण प्रदर्शित है। उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष–2021–22 का वास्तविक राजस्व संग्रहण 1806.60 करोड़ रूपये था।
2	क्या यह बात सही है कि जब राज्य में छत्तीसगढ़ मॉडल के आधार पर नई उत्पाद नीति लाई जा रही थी तभी इस पर कई विसंगतियों एवं 8 बिन्दुओं पर राजस्व पर्षद एवं अन्य ने आपत्तियाँ दर्ज की थी ओर नवंबर, 2022 में माननीय राज्यपाल ने भी उत्पाद (संशोधन) बिल को वापस लौटाते हुए 8 बिन्दुओं पर आपत्ति जताते हुए राजस्व पर्षद से मंतव्य लेकर इस पर संशोधन का निर्देश दिया था और जनवरी, 2023 में माननीय अध्यक्ष महोदय ने भी इस विधेयक को वापस लौटा दिया है;	आंशिक स्वीकारात्मक। –झारखण्ड मदिरा का भण्डारण एवं थोक बिक्री नियमावली, 2022, झारखण्ड उत्पाद होटल, रेस्तराँ, बार एवं क्लब (अनुज्ञापन एवं संचालन) नियमावली, 2022, झारखण्ड उत्पाद (देशी शराब के विनिर्माण, बोतलबंदी एवं भंडारण) (संशोधन) नियमावली, 2022 एवं झारखण्ड उत्पाद (झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन) नियमावली, 2022 दिनांक–01.05.2022 से झारखण्ड राज्य में प्रवृत है। इन नियमावलियों के गठन के क्रम में सचिकायें दो बार राजस्व पर्षद के पास प्रेषित की गई थी। सदस्य, राजस्व पर्षद के अधिकांश सुझावों को स्वीकार किया गया है तथा कतिपय सुझावों का समुचित उत्तर विभाग द्वारा उपलब्ध करा दिया गया था। सदस्य, राजस्व पर्षद् की प्रत्येक आपत्तियों एवं एतद् संबंधी विभागीय उत्तर से मंत्री परिषद को अवगत कराते हुये नियमानुसार नई उत्पाद नीति 2022 को राजस्वहित में लागू किया गया है। माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा दर्ज आपत्तियों के आलोक में नियम संगत कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक जनहित में बार–बार सभी प्राधिकारों द्वारा इस विधेयक पर आपत्ति जताते हुए इसे वापस लौटाने और निर्धारित समयावधि में भी इस मॉडल से राजस्व के निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होने और राज्य में इससे ऐसी उपापोह की स्थिति उत्पन्न करने हेतु जवाबदेही पदाधिकारियों पर समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए तत्काल समाधान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपरोक्त कंडिका–1 एवं 2 में स्थिति स्पष्ट की गई है।

झारखंड सरकार

उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

ज्ञापांक–04/विधायी–04–04/2023– 598 राँची दिनांक– 16/3/2023

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय के ज्ञाप सं0 प्र.–402/वि0स0 दिनांक –24.02.2023 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3/2023

सरकार के संयुक्त सचिव

(186)

श्री राज सिन्हा, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक-17.03.2023 को सदन में पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ0सू0-47 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1. क्या यह बात सही है कि रिम्स एक स्वायतशासी निकाय है और इसका सालाना बजट 400 करोड़ का है;	रिम्स, राँची झारखण्ड सरकार के अधीनस्थ एक स्वायतशासी चिकित्सा संस्थान है। रिम्स, राँची को वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार द्वारा योजना मद में कुल रु 250.00 करोड़ एवं गैर-योजना मद में कुल रु 395.00 करोड़ का अनुदान राशि आवंटित किया गया है।
2. क्या यह बात सही है कि रिम्स राँची के शवगृह में उपयोग में लाये जा रहे उपकरणों (कूलिंग कंपार्टमेंट फ्रिज्जर व अन्य) को पिछले एक वर्ष से पूरी तरह से उपयोग नहीं हो पा रहा है और शव गल रहे है;	अस्वीकारात्मक। झारखण्ड के विभिन्न जिलों से पहचान विहीन शव सड़े-गले अवस्था में लाए जाते हैं, जिसका POST MORTEM रिम्स में कराया जाता है एवं उन्हें MORGUE में रखने की प्रक्रिया अपनायी जाती है।
3. क्या यह बात सही है कि रिम्स राँची में तीन वर्ष पूर्व करोड़ो की लागत से नया शव गृह बनाया गया जिसमें 50 शवों को रखने की क्षमता है, यह फ्रिज्जर खराब होने की सूचना के बावजूद रिम्स प्रबंधन ने समय पर कदम नहीं उठया और कई शव गलकर खराब हो चुका है;	अस्वीकारात्मक। MORGUE के FREEZER खराब होने की सूचना मिलने पर रिम्स प्रबंधन द्वारा M/s Blue Star Ltd. के अधिकृत एजेन्सी M/s Balaji Refrigeration, Harmu Road, Ranchi को Repairing & Servicing हेतु कायदिश संख्या 1625 दिनांक-05.06.2020 निर्गत किया गया था, जिसके आलोक में उक्त एजेन्सी के द्वारा तत्समय कार्य किया गया। पुनः रिम्स, राँची के कायदिश संख्या 2689 दिनांक-04.07.2022 द्वारा M/s Mamun Enterprises, Near Marwari College, Ranchi को Repairing & Servicing हेतु आदेश निर्गत किया गया था। वर्तमान में रिम्स प्रबंधन द्वारा M/s Blue Star Ltd. कम्पनी से संपर्क स्थापित कर फ्रिज्जर के Repair/Replacement एवं रख-रखाव (CAMC) हेतु प्रस्ताव की माँग की गई है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार रिम्स के शवगृह के प्रबंधन में लापरवाही बरते जाने वाले पदाधिकारी को कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	उपरोक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांक-11/रिम्स (वि0स0)-05-04/2023 74 (11) दिनांक- 16/3/2023

प्रतिलिपिः-उप सचिव, झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0-973 वि0स0 दिनांक-05.03.2023 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.3.23

सरकार के अवर सचिव।

187

श्री अमित कुमार यादव, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–17.03.2023 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–12 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	श्री अमित कुमार यादव, माननीय स0वि0स0	माननीय प्रभारी मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि वर्ष 1976–78 में बिहार सरकार द्वारा भूमिहीन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को जीविकोपार्जन हेतु जमीन आवंटित किया गया था, परन्तु हजारीबाग जिलान्तर्गत ईचाक बरकट्ठा सहित राज्य के अनु0 जाति/जनजाति के पर्चावली जमीन को वन विभाग द्वारा जबरन वन सीमा में शामिल किया गया है, जो सर्वथा अनुचित है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। वन विभाग द्वारा सिर्फ अधिसूचित वनभूमि, जो अवैध रूप से अतिक्रमित है, वैसे भूमि को जाँचोपरांत चिन्हित् कर सक्षम प्राधिकार के द्वारा J.P.L.E. Act के अंतर्गत सुसंगत धाराओं के अधीन कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण से मुक्त किया जाता है।
2	क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा प्रदत्त जमीन आंवटन तिथि से ही इन गरीब व्यक्तियों का कब्जा व दखल कायम है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वन भूमि पर निवास करने वाले व्यक्तियों के संबंध में दिनांक 13.12.2005 के पूर्व से वन भूमि में आवासित एवं जोत–आबाद कर रहे परिवारों एवं उक्त तिथि के 75 वर्ष पूर्व से आवासित एवं जोत–आबाद करने वाले परिवारों को वनाधिकार अधिनियम, 2005 के तहत् नियमानुसार वन पट्टा निर्गत किया जाता है ।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार व्यापक लोकहित में राज्य में वन विभाग द्वारा जबरन घेरने वाली अनु0 जाति/जनजाति के पर्चावाली जमीन को वन विभाग से मुक्त कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका–1 एवं 2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक :–5/स0भू0 वि0स0 हजारीबाग (अ0सू0)–28/2023..1019.....(5)/रा0 राँची, दिनांक 15-03-2023

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0–214/वि0स0, दिनांक–22.02.2023 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय झारखण्ड, राँची/माननीय प्रभारी मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15.3.2023
सरकार के अवर सचिव।

189

श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 17.03.2023 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ सू– 41 का उत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि डॉ0 श्रीमती रेणुका चौधरी तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, जमशेदपुर सम्प्रति सेवानिवृत के द्वारा दिनांक 18.01.2006 से दिनांक 30.04.2011 तक फर्जी तरीके से उपस्थिति दर्ज कर वेतन निकासी की गयी है ;	स्वीकारात्मक। विभागीय आदेश ज्ञापांक 662(4) दिनांक 19.08.2013 द्वारा डॉ0 श्रीमती रेणुका चौधरी, सेवानिवृत चिकित्सा पदाधिकारी, यक्ष्मा उपचार केन्द्र, जमशेदपुर के कार्यकलापों की जांच हेतु गठित त्रिसदस्यीय समिति का जांच प्रतिवेदन एवं विभागीय अधिसूचना संख्या– 592(18) दिनांक 02.12.2016 द्वारा डॉ0 श्रीमती रेणुका चौधरी, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, यक्ष्मा उपचार केन्द्र, जमशेदपुर सम्प्रति सेवानिवृत द्वारा दिनांक 18.01.2006 से 30.04.2011 तक फर्जी तरीके से उपस्थिति दर्ज कर वेतन निकासी करने एवं दिनांक 01.09.1995 से 07.05.2001 तक की अवधि में अनाधिकृत अनुपस्थित रहने एवं अन्य आरोपों के लिए विभागीय संकल्प संख्या– 315 (18) दिनांक 10.06.2014 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदधिकारी से प्राप्त अधिगम में आरोपों को प्रमाणित पाये जाने के फलस्वरूप समीक्षोपरांत डॉ0 चौधरी के पेंशनादि को शत प्रतिशत कटौती का निर्णय लिया गया। उक्त के संबंध में विभागीय पत्रांक 204(18) दिनांक 15.04.2015 द्वारा डॉ0 चौधरी से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। डॉ0 चौधरी द्वारा सम्प्रति द्वितीय कारण पृच्छा में कोई नया तथ्य नही रहने के कारण उनके विरूद्ध निम्नलिखित दण्ड अधिरोपित किया गया है :– 1. दिनांक 01.09.1995 से दिनांक 07.05.2001 तक की अवधि सेवा में टूट। 2. दिनांक 08.05.2001 से दिनांक 17.01.2006 तक की अवधि सेवा में टूट। 3. डॉ0 चौधरी की सेवा असंतोषजनक होने के कारण शत प्रतिशत पेंशन की राशि की कटौती।

2.	क्या यह बात सही है कि जिला यक्ष्मा उपचार केन्द्र, जमशेदपुर का जनवरी 2006 से दिसम्बर 2011 तक चिकित्सकों की उपस्थिति पंजी एवं ओ0पी0डी0 रजिस्टर गायब कर दी गयी है;	जनवरी 2006 से दिसम्बर 2011 तक के चिकित्सकों की उपस्थिति पंजी एवं ओ0पी0डी0 रजिस्टर स्व0 संजय कुमार तिवारी, लिपिक जिला यक्ष्मा केन्द्र, जमशेदपुर के अभिरक्षा में थी, जिनका दिनांक 28.03.2022 को आकस्मिक निधन हो गया। जिसके पश्चात् खोजबीन में उक्त दस्तावेज संबंधित कार्यालय में नही पाया गया।
3.	क्या यह बात सही है कि दस्तावेज गायब करने में शामिल व्यक्ति एवं पदाधिकारियों तथ कर्मचारियों पर अभी तक कोई कार्रवाई नही की गयी है;	स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार फर्जी तरीके से डॉ0 चौधरी द्वारा की गयी वेतन निकासी की रिकवरी करने एवं ओ0पी0डी0 रजिस्टर गायब करने में संलिप्त पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों पर कानूनी कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	संबंधित पदधिकारी एवं कर्मचारी को चिन्हित कर उनके विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0– 03/वि0स0–03–15/2023 266 (3) राँची, दिनांकः 16.03.2023

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 747/वि0स0 दिनांक 01.03.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.03.2023

सरकार के अपर सचिव

ज्ञाप सं0– 03/वि0स0–03–15/2023 266 (3) राँची, दिनांकः 16.03.2023.

प्रतिलिपिः अपर सचिव, प्रभारी प्रशाखा– 17, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.03.2023

सरकार के अपर सचिव

श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–17.03.2023 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–25 का प्रश्नोत्तर।

क्र०	प्रश्न श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की, मा०स०वि०स०	उत्तर माननीय प्रभारी मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि 2017 में तत्कालीन सरकार ने भूमि बैंक बनाया था, जिसके तहत् उद्योगपतियों को उद्योग स्थापना के लिए भूमि आंवटित करने का प्रावधान है;	आंशिक स्वीकारात्मक। RFCTLARR Act, 2013 की धारा–101 में **"भूमि बैंक"** के स्थापन का प्रावधान किया गया है, जो सरकार के स्वामित्वाधीन की खाली, परित्यक्त, अनुपयोजित अर्जित भूमियों और कर–बकाया वाले संपत्तियों का उत्पादनकारी उपयोग में संपरिवर्तन करने पर ध्यान संकेन्द्रित करती है। इस प्रावधान के आलोक में राज्य के विकास हेतु सरकारी विभागो, औद्योगिक प्रयोजनों एवं जनउपयोगी परियोजनाओं हेतु भूमि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य में जनवरी, 2016 में भूमि बैंक की स्थापना की गयी है। गैरमजरूआ खास, आम, जंगल–झाड़ी एवं विभिन्न विभागों के अधीन भूमि को भूमि बैंक अंतर्गत रखा गया है। झारखण्ड भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार नियमावली, 2015 के नियम–37 के तहत अर्जित अनुपयोजित भूमि को भी भूमि बैंक में रखने का प्रावधान किया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि सरकार के उक्त अधिनियम (भूमि अर्जन पुनर्वास एवं भूमि अर्जन) के पुनर्वाव्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार (झारखण्ड संशोधन) अधिनियम–2017 के तहत् ग्राम सभा की पूर्व अनुमति के बिना सरकार को किसी गैर मजरूआ भूमि को उर्जित करने का अधिकार प्राप्त है;	अस्वीकारात्मक। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार (झारखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2017 द्वारा RFCTLARR Act, 2013 के अध्याय–02 और अध्याय–03 के उपबंधों का कतिपय परियोजनाओं (यथा–विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, अस्पताल, पंचायत भवन, आँगनबाड़ी केन्द्र, रेल, सड़क, जलमार्ग, विद्युतीकरण, सिंचाई, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए आवास, जलापूर्ति, पाईप लाईन्स, ट्रांसमिशन एवं अन्य सरकारी भवन) के लिए लागू न होने का प्रावधान किया है। इन परियोजनाओं के लिए भी ग्राम सभा/स्थानीय प्राधिकारी का परामर्श प्राप्त करने का प्रावधान है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इस कानून को निरस्त कर ग्राम सभा के अधिकार को बहाल करने पर विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक–08ए०/भू०अ०नि०, वि०स० (अ०सू०)–41/2023...192/रा० रा०   राँची, दिनांक– 14-03-2023

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञापांक–407, दिनांक–24.02.2023 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/ प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/ प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/ विभागीय (प्रभारी) मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/03/23

सरकार के अवर सचिव।

D:\Nide\Vidhanshabha.docx 194 (SOHAN)

नियुक्ति कराना ।

मुद्रित उत्तर संलग्न

191. श्री बिरंची नारायण--क्या मंत्री, विधि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि 31 अक्टूबर, 2022 तक देशभर के न्यायालयों में 5351284 मामले लंबित है, जिसमें झारखण्ड की स्थिति चौथे स्थान पर है, जहाँ 420758 मामले लंबित है और झारखण्ड में दिनांक 18 दिसम्बर, 2022 तक 523084 मामले जिसमें 90049 सिविल मामले एवं 433035 क्रिमिनल मामले लंबित है एवं केवल झारखण्ड उच्च न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या-86624 है;

(2) क्या यह बात सही है कि बड़े और जघन्य आपराधिक मामलों के त्वरित निपटारे के लिए कई फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित किए गए है, जिसके अन्तर्गत झारखण्ड में फास्ट ट्रैक कोर्ट में 7969 मामले लंबित है और फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों में 4927 केस लंबित है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक जनहित और न्यायहित में उक्त लंबित पड़े मामलों के निपटारे हेतु झारखण्ड हाईकोर्ट सहित इसके अन्तर्गत आनेवाले सभी जिला न्यायालयों एवं अनुमण्डल न्यायालयों में रिक्त पड़े विभिन्न स्वीकृत पदों के अधीन बहाली करवाने और जिन जिलों में सरकारी अधिवक्ता एवं अपर सरकारी अधिवक्ता के पद रिक्त पड़े है उनकी नियुक्ति करवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक । परन्तु महानिबंधक, माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची के पत्रांक-30 R&S, दिनांक 28 फरवरी, 2023 से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार झारखण्ड उच्च न्यायालय एवं झारखण्ड राज्य के जिला न्यायालयों में दिनांक 31 जनवरी, 2023 तक लंबित मामलों की संख्या निम्नवत् रूप से दर्शाया गया है:-

झारखण्ड उच्च न्यायालय			जिला न्यायालय		
सिविल	क्रिमिनल	कुल	सिविल	क्रिमिनल	कुल
38644	48165	86809	87294	422742	510036

(2) स्वीकारात्मक । परन्तु महानिबंधक, माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची के पत्रांक-30 R&S, दिनांक 28 फरवरी, 2023 से प्राप्त आकड़ों के अनुसार झारखण्ड राज्य के जिला न्यायामंडलों के फास्ट ट्रैक न्यायालयों एवं पॉक्सों न्यायालयों में दिनांक 31 जनवरी, 2023 तक लंबित मामलों की संख्या निम्नवत् रूप से दर्शाया गया है:-

फास्ट ट्रैक न्यायालय	पॉक्सो न्यायालय
7813	4408

(3) महानिबंधक; माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची के पत्रांक 30/R&S, दिनांक 28 फरवरी, 2023 से प्राप्त सूचना के अनुसार झारखण्ड न्यायिक सेवा में स्वीकृत बल, कार्यरत बल एवं रिक्तियाँ का विवरण निम्नवत् है:-

क्र०सं०	कोटि	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्तियाँ
1.	झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा	--	--	--
	a प्रधान जिला न्यायाधीश	67	64	03
	b जिला न्यायाधीश	171	114	57
	कुल (a+b)	**238**	**178**	**60**
2.	सिविल जज (सीनियर डिवीजन)	155	149	06
3.	सिविल जज (जूनियर डिवीजन)	301	178	123
	कुल	**694**	**505**	**189**

झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची के अधिसूचना संख्या-11/ए, दिनांक 07 फरवरी, 2022 द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2022 तक झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा के कुल 50 पदों की रिक्तियों को अधिसूचित किया जा चुका है । उपरोक्त के अलावा, बेंच में पदोन्नति/सेवा से बर्खास्तगी/सेवानिवृत्ति/मृत्यु एवं नये पदों के सृजन के फलस्वरूप दिनांक 31 मार्च, 2022 तक वरीय न्यायिक सेवा के 50 रिक्त पदों में 10 (दस) और पदों का उपार्जन हुआ है । यह भी ज्ञातव्य हो कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति निर्धारित समय सीमा से पहले पूर्ण की जा चुकी है । वर्तमान नियुक्ति प्रक्रिया भी चल रही है और शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी ।

झारखण्ड न्यायिक सेवा

मार्च, 2022 तक सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की सभी रिक्तियाँ भरी जा चुकी है । बाद में, सिविल जज (सीनियर डिवीजन) स्तर के एक पदाधिकारी की मृत्यु होने तथा सरकार के द्वारा अनुमण्डलीय न्यायालय, चांडिल में 02 एवं नगर उंटारी में 03 के पदसृजन के उपरांत वर्तमान में कुल रिक्यिाँ 06 (छः) है । झारखण्ड उच्च न्यायालय के पत्रांक-70 एपीपीटीटी, दिनांक 03 जनवरी, 2023 द्वारा निम्नांकित 52 एवं 86 पदों पर भर्ती के संबंध में आवश्यक कदम उठाने हेतु झारखण्ड लोक सेवा आयोग से अनुरोध किया गया है:

वर्ष	रिक्त पद	कार्रवाई
2019-20	52	झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची की अधिसूचना संख्या-04/ए, दिनांक 09 जनवरी, 2020 तथा राज्य सरकार को प्राप्त पत्रांक-91/एपीपीटीटी, दिनांक 09 जनवरी, 2020 द्वारा उक्त पदों के सृजन के संबंध में आवश्यक कार्रवाई हेतु झारखण्ड लोक सेवा आयोग को अग्रसारित किया जा चुका है
2020-21	शून्य	
2021-22	86	झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची की अधिसूचना संख्या-74/ए, दिनांक 11 अप्रैल, 2022 तथा राज्य सरकार को प्राप्त पत्रांक-1344/एपीपीटीटी, दिनांक 11 अप्रैल, 2022 द्वारा उक्त पदों के सृजन के संबंध में आवश्यक कार्रवाई हेतु झारखण्ड लोक सेवाआयोग को अग्रसारित किया जा चुका है ।

जहाँ तक सरकारी अधिवक्ता एवं अपर सरकारी अधिवक्ता की नियुक्ति का प्रश्न है, तो इस संबंध में वर्तमान में वस्तुस्थिति निम्नवत् है:-

सरकारी अधिवक्ता

झारखण्ड में व्यवहार न्यायालयों के लिए The Law Officer (Engagement) Rules, 2018 के प्रावधानों के अधीन प्रत्यके जिला में सरकारी अधिवक्ता (Government Pleader) 01 (एक)पद कर्णाकिंत है, अर्थात कुल 24 (चौबीस) पद निर्धारित है, जिसमें से कुल 15 (पंद्रह) जिलों (बोकारो, चतरा, दुमका, कोडरमा, पलामू, सरायकेला-खरसावाँ, रामगढ़, गढ़वा, देवघर, राँची, गोड्डा, पूर्वी सिंहभूम(जमशेदपुर), धनबाद, लोहरदगा तथा गिरिडीह) में अर्थात् 15 (पंद्रह) पदों पर नियुक्ति की जा चुकी है ।

कुल चार (04) जिलों (लातेहार, गुमला, जामताड़ा एवं सिमडेगा) के चार (04) सरकारी अधिवक्ता (Government Pleader) के पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई की जा रही है । शेष पाँच (5) जिलों (खूँटी, हजारीबाग, पश्चिमी सिंहभूम (चाईबासा), साहेबगंज तथा पाकुड़) के पाँच (5) सरकारी अधिवक्ता (Government Pleader) के पदों पर नियुक्ति हेतु The Law Officer (Engagement) Rules, 2018 के प्रावधानों के अधीन सर्च कमिटि की अनुशंसा अप्राप्त है ।

अपर सरकारी अधिवक्ता

झारखण्ड में व्यवहार न्यायालयों के लिए The Law Officer (Engagement) Rules, 2018 के प्रावधानों के अधीन प्रत्येक जिला में अपर सरकारी अधिवक्ता Additional Government Pleader) के पदों का कर्णांकण विधि विभागीय अधिसूचना संख्या-1463/जे०, दिनांक 20 जुलाई, 2022 के द्वारा किया गया है, जिसके अनुसार झारखण्ड के सभी जिलों के व्यवहार न्यायालयों के लिए कुल 56 (छप्पन) पद निर्धारित है, जिनमें से कुल 06 (छः) जिलों (देवघर, पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर, कोडरमा, गोड्डा, राँची तथा गिरिडीह) में अर्थात कुल 15 (पंद्रह) पदों पर नियुक्ति की जा चुकी है ।

कुल 08 (आठ) जिलों (धनबाद, चतरा, लातेहार, गुमला, जामताड़ा, रामगढ़, बोकारो एवं सरायकेला-खरसावाँ) के कुल 20 (बीस) अपर सरकारी अधिवक्ता (Additional Government Pleader) के पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई की जा रही है ।

शेष 10 (दस) जिलों दुमका, पाकुड़, साहेबगंज, हजारीबाग, खूँटी, लोहरदगा, सिमडेगा, पलामू, गढ़वा तथा पश्चिमी सिंहभूम (चाईबासा) के कुल 21 (इक्कीस) अपर सरकारी अधिवक्ता Additional Government Pleader) के पदों पर नियुक्ति हेतु The Law Officer (Engagement) Rules, 2018 के प्रावधानों के अधीन सर्च कमिटि की अनुशंसा अप्राप्त है ।

192

श्री सुदेश कुमार महतो, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 17.03.2023 को पूछे जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न सख्या अ0सू0– 40 उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि ग्रामीण ईलाकों में स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं उपलब्ध करवाने, गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं को उचित सलाह देने जैसे महत्वपूर्ण कार्य सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी द्वारा किया जाता है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों को उनके मूल कार्य के साथ–साथ सरकार के योजनाओं का भी अतिरिक्त कार्य करना होता है;	अस्वीकारात्मक। सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी स्वास्थ्य संबंधित कार्य करते है।
3	क्या यह बात सही है कि सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों को जो वेतन दिया जाता है वो पर्याप्त नहीं है;	अस्वीकारात्मक। सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों से स्वास्थ्य उपकेन्द्रों में स्वास्थ्य संबंधी कार्य लिया जाता है तथा भारत सरकार से प्राप्त Performance Based Indicators को पूर्ण करने के उपरान्त सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों को इंसेंटिव मिलता है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों के वेतनवृद्धि एवं अतिरिक्त कार्य के प्रभाव से मुक्त करने की विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यो?	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड अन्तर्गत कार्यरत अनुबंध कर्मियों का मानदेय वृद्धि भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति के आलोक में की जाती है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0 : 21/ वि0स0–06–14/2023 78 (21) स्वा0 राँची, दिनांक– 16/03/2023'
प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके 754/वि0स0 राँची, दिनांक 01.03.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.03.23
सरकार के उप सचिव।

श्री सरयू राय, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–17.03.2023 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू० 43 का उत्तर

क्र0	प्रश्नकर्त्ता श्री सरयू राय, माननीय स०वि०स०	उत्तरदाता–माननीय प्रभारी मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर
01	क्या यह बात सही है कि शराब की खुदरा बिक्री के लिए पूरे राज्य को नौ जोन में बाँट कर प्लेसमेंट एजेंसियाँ नियुक्त करने के लिए विभाग ने विज्ञापन प्रकाशित किया है;	आंशिक स्वीकारात्मक। – खुदरा बिक्री के लिए पूरे राज्य को दस जोन में विभाजित किया गया है। तदनुसार प्लेसमेंट एजेसियों के चयन हेतु निविदा प्रकाशित किया गया।
02	क्या यह बात सही है कि इस विज्ञापन से केवल 4 जोन में ही प्लेसमेंट एजेंसियों की नियुक्ति हुई है, और 5 शेष जोन के जिलों का प्रभार भी इन्हीं 4 एजेंसियों को दे दिया गया है;	अस्वीकारात्मक। – निगम द्वारा दिनांक–01.04.2022 को राज्य के सभी जिलों के खुदरा उत्पाद दुकानों में बाह्य स्त्रोत के आधार पर कर्मियों की नियुक्ति हेतु प्लेसमेंट एजेसियों के चयन हेतु निविदा का प्रकाशन किया गया। उक्त निविदा में एकल निविदा प्राप्त होने के कारण निविदा रद्द कर पुनः निविदा दिनांक–18.04.2022 को प्रकाशित किया गया। उक्त निविदा की तकनीकी बीड खोली गई जिसमें कुल 10 जोन के लिए कुल 06 प्लेसमेन्ट एजेन्सी 1. Primeone Workforce Pvt Ltd 2. A2Z Infraservice Ltd. 3. Sumeet Facilities Ltd 4. Commando Industrial Security Force. 5. Shiva Industrial Security Agency (GUJ) Pvt. Ltd. 6. Eagle Hunter Solutions Ltd. सफल हुये। उक्त प्लेसमेन्ट एजेसिंयो का वित्तीय बीड खोला गया जिसमें Quality-cum-cost-based Method के अनुसार Zone wise Marking Status के आधार पर निविदा समिति द्वारा कुल 04 प्लेसमेन्ट एजेसिंयो 1. Primeone Workforce Pvt Ltd 2. A2Z Infraservice Ltd. 3. Sumeet Facilities Ltd 4. Eagle Hunter Solutions Ltd. की अनुशंसा की गई। कार्य की महत्ता को दृष्टिपथ रखते हुए तथा माह मई 2022 से राज्य के सभी खुदरा उत्पाद दुकानो के सफल संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु इन चार (04) प्लेसमेन्ट एजेंसियों को कार्य आवंटित किया गया तथा जोन 03 & 06 हेतु पुनः दिनांक–12.05.2022 को निविदा प्रकाशित की गई। उक्त निविदा की तकनीकी बीड खोली गई जिसमें कुल 02 जोन हेतु कुल 03 प्लेसमेन्ट एजेन्सी 1. Alert Commando Pvt. Ltd. 2. Shiva Industrial Security Agency (Guj) Limited. 3. GDX Facility & Management Services Pvt. Ltd. सफल हुये। उक्त प्लेसमेन्ट एजेसिंयो का वित्तीय बीड खोला गया जिसमें Quality-cum-cost-based Method के अनुसार Zone wise Marking Status के आधार पर निविदा समिति द्वारा कुल–01 प्लेसमेन्ट एजेन्सी 1.GDX Facility & Management Services Pvt. Ltd. की अनुशंसा की गई। E-Tender for Empanelment of Placement agency हेतु निविदा की कंडिका–21 (21.5)– Maximum Two Zones will be awarded to same H1 Bidder. if a bidder is declared H1 in more than 2 Zones. The bidder will have a choice to select any two Zone for award of work. In the remaining Zone the H2 Bidder will awarded work treating

–जारी–

<table>
<tr><td></td><td></td><td>it as H1 and so on. तथा कंडिका–22 (22.1) The Managing Director, at the time of award of work under the contract, reserves the right to decrease or increase the work by the up to 50% of the total quantum of work specified in the schedule of requirements without any change in the rates or other terms and conditions. उक्त के आलोक में वर्त्तमान में कुल पाँच (05) प्लेसमेंन्ट एजेन्सी निगम के पास सूचिबद्ध है, जिसकी विवरणी निम्नवत है–
<table>
<tr><th>Sl.</th><th>Name of Placement agency</th><th>Allotted zone</th></tr>
<tr><td>01</td><td>Primeone Workfore Pvt Ltd.</td><td>01 & 05</td></tr>
<tr><td>02</td><td>Sumeet Facilites Ltd</td><td>02 & 08</td></tr>
<tr><td>03</td><td>A2Z Infraservice Ltd.</td><td>04 & 09</td></tr>
<tr><td>04</td><td>Eagle Hunter Solution Ltd</td><td>07 & 10</td></tr>
<tr><td>05</td><td>GDX Facility & Management Services Pvt. Ltd</td><td>03 & 06</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>03</td><td>क्या यह बात सही है कि विज्ञापन में ऐसी शर्त्ते डाल दी गई है कि जिन के अनुसार कुछ चुनिंदा प्लेसमेंट एजेंसियाँ ही इन शर्त्तों को पूरा करती हैं, जिस कारण शेष जोन के लिये प्लेसमेंट एजेंसियों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है और सरकार को राजस्व की क्षति हो रही है;</td><td>अस्वीकारात्मक।
– मंत्रिपरिषद के अनुमोदन के आलोक में विभागीय संकल्प सं0–121 दिनांक–21.01.2022 द्वारा "झारखण्ड राज्य में उत्पाद राजस्व सवर्द्धन हेतु "परामर्शी सेवा" उपलब्ध कराने के निमित्त छत्तीसगढ़ राज्य मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (CSMCL) को उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग एवं झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड का "परामर्शी एजेन्सी" मनोनीत करने हेतु संकल्प निर्गत की गई है। CSMCL के परामर्श के आलोक में तैयार नई उत्पाद नियमावली का गठन विहित प्रक्रिया के उपरान्त मंत्रिपरिषद के अनुमोदनोपरांत किया गया। झारखण्ड उत्पाद (झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन) नियमावली 2022 के नियम–24(ii) के प्रावधानानुसार प्लेसमेंट एजेन्सी का चयन बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया गया।</td></tr>
<tr><td>04</td><td>यदि उपयुक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार शेष जोन के जिलों के लिए प्लेसमेंट एजेंसियों की नियुक्ति करने की प्रक्रिया पूरा करने और इस के लिए उत्पाद नीति में संशोधन कर त्रुटियों का निराकरण करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों;</td><td>अस्वीकारात्मक।</td></tr>
</table>

झारखंड सरकार
उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

ज्ञापांक–04 / विधायी–04–05 / 2023(उ0) 599 राँची दिनांक– 16/3/2023

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय के ज्ञाप सं0 प्र.–709 / वि0स0 दिनांक–28.02.2023 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.3.2023
सरकार के संयुक्त सचिव

श्री समीर कुमार मोहन्ती, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 17.03.2023 को पूछे जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न सख्या– अ0सू0 – 45 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि चाकुलिया से जिला मुख्यालय जमशेदपुर की दूरी चाकुलिया से प0 बंगाल स्थित झारग्राम जिला मुख्यालय की दूरी से लगभग 60 कि0मी0 ज्यादा है;	चाकुलिया से जिला मुख्यालय, जमशेदपुर की दूरी 80 कि0मी0 है। चाकुलिया से जिला मुख्यालय, झारग्राम की दूरी 67.5 कि0मी0 है।
2	क्या यह बात सही है कि जमशेदपुर की दूरी झाड़ग्राम की दूरी से अधिक होने के कारण चाकुलिया प्रखण्ड क्षेत्र के अधिकतर बीमार चिकित्सा हेतु आपातकालीन स्थिति में प0 बंगाल या उड़ीसा की ओर रूख करते है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकार द्वारा संचालित 108 एम्बुलेन्स को झारखण्ड राज्य से बाहर जाने का प्रवधान नहीं है, जिसके कारण आपात स्थिति में मरिजों को अन्य साधन का सहारा लेना पड़ता है जिससे गरीब मरीजों के उपर आर्थिक बोझ तो पड़ता ही है साथ हीं अन्य साधनों के अनुपलब्धता पर कभी कभी मरीजो को जानें भी गंवानी पडती है;	अस्वीकारात्मक। मरीजो को राज्य के बाहर भी रेफर करने का सुविधा प्रदान की जा रही है। 1 अप्रैल, 2022 से 10 मार्च, 2023 तक कुल 4376 मरीजो को झारखण्ड राज्य से बाहर भेजा गया है।
4	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार गरीब मरीजो के हित में 108 एम्बुलेन्स को अन्य राज्यो तक संचालन की अनुमति प्रदान कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यो?	मरीजो के हित में 108 एम्बुलेंस को अन्य राज्यों तक संचालन की अनुमति पूर्व से हीं प्रदान की गई है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0 : 21/वि0स0–06–15/2023 77 (21) स्वा0 राँची, दिनांक– 16/03/2023
प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके 907/वि0स0 राँची, दिनांक 02.03.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.03.23
सरकार के उप सचिव।

नियुक्ति कराना ।

195. श्री राजेश कच्छप--क्या मंत्री, श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में अधिसंख्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बनकर तैयार है परंतु संचालन में नही है;

(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित संस्थानों में अनुदेशकों की नियुक्ति आज तक नहीं की गई, जिससे औद्योगिक प्रशिक्षण में जुड़ी शिक्षा प्रभावित हो रही है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड-1 में वर्णित विषय पर संज्ञान लेने तथा खण्ड-2 में वर्णित विषय पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) आंशिक स्वीकारात्मक ।

(2) स्वीकारात्मक । औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण अधिकारियों की नियुक्ति हेतु विभाग द्वारा प्रेषित अधियाचना के आलोक में झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया था जिसका विज्ञापन संख्या-17/2022 एवं 18/2022 था W.P (s) No-3894/2021 रमेश हंसदा बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची से पारित न्यायादेश के आलोक में आयोग द्वारा विज्ञापन रद्द कर दी गयी है । माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में नियमावली में संशोधन की जा रही है । तत्पश्चात् झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से पुनः विज्ञापन प्रकाशित करने हेतु प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी ।

(3) नवनिर्मित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को TSP/PPP (Training Service Provider/Public Private Partnership) के अंतर्गत संचालन करने हेतु निविदा आमंत्रित की गई थी संख्या कम होने के कारण उक्त निविदा को रद्द कर पुनः निविदा आमंत्रित करने की कार्रवाई की जा रही है ।

श्री राजेश कच्छप, माननीय स0वि0स0 के द्वारा दिनांक–17.03.2023 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–26 का प्रश्नोत्तर।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
	श्री राजेश कच्छप, माननीय स0वि0स0	माननीय (प्रभारी) मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है, कि राज्य की अनुसूचित क्षेत्रों एवं उन क्षेत्रों में निवासित TRIBAL & ABROZINAL COMMUNITY की रक्षा हेतु भारतीय संविधान में कई अनुच्छेद, कानून, अधिनियम, उप नियम, Regulations (कुल मिलाकर 27) के प्रभावी होने के बावजूद 1894 की ख Act संशोधन बिहार लैंड Aquisition Act 1961 की दुरूपयोग कर बड़े पैमाने पर अनु0ज0जा0 मूल निवासियों को उजाड़ते हुए Demographic संतुलन बिगाड़ दी गई है;	अस्वीकारात्मक। RFCTLARR Act, 2013 से पूर्व भू–अर्जन की कार्रवाई L.A. Act, 1894 में निहित प्रावधानों के अनुसार की जाती थी।
2	क्या यह बात सही है, कि खण्ड–1 में वर्णित तमाम कानुनों अनुच्छेदों अधिनियमों आदि को Strictly लागू करने के बजाय Other General Lands को Prevail कराकर बहुत बड़ी (Conspiracy) अनु0ज0जा0 मूल निवासियों को समुल नाश करने हेतु रची गई है;	अस्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि खण्ड–2 में वर्णित Conspiracy का ज्वलंत उदाहरण HEC Ltd. Ranchi, PTPS, TTPS, SAIL BOKARO, COAL FIELDS, TATA सामने परिलक्षित हो रही है;	अस्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मामले की उच्चस्तरीय जाँच कराकर खंड–1 में वर्णित अनुसूचित क्षेत्रों (Scheduled Area) की संवैधानिक स्वयं प्रभुता की रक्षा करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	RFCTLARR Act, 2013 दिनांक–01.01.2014 से राज्य में प्रभावी है। RFCTLARR Act, 2013 प्रभावी होने के उपरांत अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भू–अर्जन की दशा में संविधान की पाँचवी अनुसूची के अधीन अधिसूचित क्षेत्रों में यथास्थिति संबंधित ग्राम सभा या पंचायतों या स्वायत्त जिला परिषदों की पूर्व सहमति से भू–अर्जन की कार्रवाई की जाती है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।
(भू–अर्जन निदेशालय)

ज्ञापांक–02 बी0 / भू0अ0नि0(वि0स0) अ0सू0–16 / 2023...190/रा0 राँची, दिनांक–14-03-2023

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–408 / वि0स0, दिनांक–24.02.2023 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ / प्रधान सचिव, मंत्रीमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची / विभागीय (प्रभारी) मंत्री के आप्त सचिव / विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12(समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/03/23
सरकार के अवर सचिव।

Desktop/Naina Mam/QA (Aman)

(197)

श्री प्रदीप यादव, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक-17.03.2023 को सदन में पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ0सू0-36 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1. क्या यह बात सही है RIMS, Ranchi में आयुष्मान कार्डधारी भर्ती रोगियों के मृत्यु हो जाने पर निःशुल्क शव वाहन उपलब्ध कराने का कोई प्रावधान रिम्स प्रबंधन के पास नहीं है;	आयुष्मान भारत योजना में निःशुल्क शव वाहन उपलब्ध कराने का कोई निर्देश नहीं है।
2. क्या यह बात सही है कि सिर्फ लाल कार्डधारी मृतकों को ही निःशुल्क शव वाहन उपलब्ध कराया जाता है;	बी0पी0एल0 कार्ड/राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अधिनियम अन्तर्गत पीला कार्ड अथवा गुलाबी कार्ड/अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा 72000/- (बहत्तर हजार) तक वार्षिक आय का निर्गत प्रमाण-पत्र वाले परिजनों के मृतकों के लिए यह सेवा निःशुल्क है।
3. क्या यह बात सही है कि रिम्स में निःशुल्क शव वाहन शाम 4 बजे के पश्चात् उपलब्ध नहीं कराने का प्रावधान है, जबकि पोस्टमार्टम शाम 5 बजे तक किया जाता है;	राँची के आस पास (25 कि0मी0 की परीधि में) 24 घंटे मोक्ष वाहन क्रियाशील है, एवं 25 कि0मी0 से अधिक दूरी के लिए परिचालन का समय पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सभी आयुष्मान कार्डधारी और विशेष परिस्थिति में माननीय विधायकों द्वारा अनुशंसित गरीब/असहाय मृतकों को शव उनके गाँव तक निःशुल्क हर समय ले जाने का प्रावधान करने की विचार रखती है हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांक-11/रिम्स (वि0स0)-05-03/2023 73 (11) दिनांक- 14/3/2023

प्रतिलिपिः-उप सचिव, झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0-750 वि0स0 दिनांक-01.03.2023 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14.3.23

सरकार के अवर सचिव।

198

श्री प्रदीप यादव, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 17.03.2023 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ0सू0–35 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्रम0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्यों में संचालित 5 मेडिकल कॉलेजों में एसोसिएट प्रोफेसर के 89 और प्रोफेसर के 72 पद रिक्त है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त रिक्तियों के कारण उक्त सभी मेडिकल कॉलेजों की नेशनल मेडिकल काउंसिल से मान्यता जारी रखने में परेशानी हो रही है ;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि वाक–इन–इन्टरव्यू में भी बहुत योग्य चिकित्सा–विशेषज्ञों द्वारा रूचि नहीं दिखाई जा रही है, जिसके कारण सीट नहीं भर रहे है ;	स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपरोक्त सभी कमियों को अविलम्ब पूरा करने हेतु कोई "ठोस कार्य योजना" लागू करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक के 126 रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची को अधियाचना प्रेषित की गयी है। चिकित्सा महाविद्यालयों में कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों को सहायक प्रध्यापक से सह–प्राध्यापक एवं सह–प्राध्यापक से प्राध्यापक के पद पर नियमित प्रोन्नति देने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। चिकित्सका शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में प्राध्यापक एवं सह–प्राध्यापक के रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर सेवाएँ प्राप्त करने हेतु संविदा आधारित नियुक्ति नियमावली, 2021 का गठन किया गया है। संविदा पर सेवाएँ प्राप्त करने हेतु चिकित्सा शिक्षकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से प्राध्यापक पद के लिए रू0 2,50,000/– (दो लाख पचास हजार) रूपये एवं सह–प्राध्यापक पद के लिए रू0 2,00,000/– (दो लाख) रूपये मासिक मानदेय निर्धारित किया गया है। उक्त के क्रम में चिकित्सा महाविद्यालयों में नियमित प्रोन्नति होने तक Walk-In-Interview के माध्यम से संविदा के आधार पर वर्ष–2021 एवं 2022 में प्राध्यापक एवं सह–प्राध्यापक के रिक्त पदों पर चार बार नियुक्ति की कार्रवाई गई है। जिसमें कुल 69 चिकित्सा शिक्षकों की सेवाएँ प्राप्त करने हेतु अधिसूचित किया गया है। पुनः वर्ष 2023 में विज्ञापन प्रकाशित कर संविदा पर सेवाएँ प्राप्त करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

सं0 सं0–06/विधायी–06–05/2023 – 139(9) राँची, दिनांक– 14/3/23

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–749 वि0स0, दिनांक 01.03.2023 के क्रम में (200 प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14.3.23

सरकार के अवर सचिव

श्री दुल्लू महतो, मा0स0वि0स0 के द्वारा दिनांक–17.03.2023 को सदन में पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–39 का उत्तर प्रतिवेदनः–

क्रम0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में आयुष्मान भारत–मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का संचालन किया जा रहा है, परन्तु राज्य के निजी एवं सरकारी अस्पतालों में उक्त योजना के लाभुकों को ईलाज की सुविधा मिलना बंद हो चुकी है जिसके कारण लाभुकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ;	अस्वीकारात्मक। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना दिनांक 23.09.2018 से संचालित है एवं वर्त्तमान में भी योजना कार्यशील है। झारखण्ड राज्य में योजनान्तर्गत कुल 225 सरकारी एवं 581 निजी अस्पताल सूचीबद्ध हैं।
	क्या यह बात सही है कि सूचीबद्ध सरकारी एवं निजी अस्पतालों को कुल राशि 10,14,18,23,380/– रू0 के भुगतान किये जाने के बाद भी आयुष्मान कार्डधारियों का ईलाज नहीं हो पा रहा है ;	अस्वीकारात्मक। योजनान्तर्गत वर्त्तमान में प्रतिदिन औसतन 1700 लाभुक योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। योजना के प्रारंभ से दिनांक–28.02.2023 तक कुल–13,56,087 लाभुकों ने अबतक आयुष्मान योजना का लाभ प्राप्त किया है जिसके विरूद्ध अस्पतालों को कुल–14,08,80,25,060/–(चौदह अरब आठ करोड़ अस्सी लाख पच्चीस हजार साठ) रूपये का भुगतान किया गया है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड–01 में निर्गत योजना के लाभुकों को ईलाज करवाना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्ड़ों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 04/वि0 स0 (अ0सू0प्र0)–09–02/2023 17(4) राँची, दिनांक–10.03.2023

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र०–753/वि0स0, राँची, दिनांक–01.03.20223 के प्रसंग में 220 प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/03/23
सरकार के अवर सचिव

ज्ञाप सं० : 04/वि0 स0 (अ0सू0प्र0)–09–02/2023 17(4) राँची, दिनांक–10.03.2023
प्रतिलिपि : अपर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–17, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/03/23
सरकार के अवर सचिव

(200)

श्री जय प्रकाश भाई पटेल, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–17.03.2023 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–27 का प्रश्नोत्तर।

क्र०	प्रश्न श्री जय प्रकाश भाई पटेल, मा०स०वि०स०	उत्तर माननीय (प्रभारी) मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में सी०सी०एल० के द्वारा भूमि अधिग्रहण कर अनेकों उद्योग स्थापित किये गये है;	आंशिक स्वीकारात्मक। सी०सी०एल० द्वारा अधिग्रहित भूमि पर खनन कार्य किया जाता है।
2	क्या यह बात सही है कि विस्थापितों एवं बेरोजगारों के लिए सी०सी०एल० द्वारा संचालन समिति के माध्यम से रोड सेल का गठन किया गया है;	अस्वीकारात्मक। सी०सी०एल० द्वारा रोड सेल का गठन नहीं किया गया है। संचालन समिति आस–पास के ग्रामीणों के द्वारा बनाया गया है, जो पूर्णतः प्राईवेट है। सी०सी०एल० द्वारा कॉपरेटिव के माध्यम से एक करोड़ तक का श्रम प्रधान कार्य विस्थापितों को देने का निर्णय लिया गया है।
3	क्या यह बात सही है कि विस्थापितों एवं बेरोजगारों के नाम से प्रत्येक दिन लाखों रूपये की अवैध वसूली की जाती है;	अस्वीकारात्मक।
4	क्या यह बात सही है कि संचालन समिति/ सी०सी०एल० के पदाधिकारी एवं जिला प्रशासन, मजदूरों के नाम पर अवैध वसूली कर मिलीभगत से रूपये का बन्दरबाट करते है;	अस्वीकारात्मक।
5	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अवैध वसूली में संलिप्त दोषी पदाधिकारियों के विरूद्ध उचित कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।
(भू–अर्जन निदेशालय)

ज्ञापांक–08ए०/भू०अ०नि०, वि०स० (अ०सू०)–33/2023 212/रा०, राँची, दिनांक– 16-03-2023

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञापांक–501, दिनांक–25.02.2023 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/ प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/ प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/ विभागीय (प्रभारी) मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3/23

सरकार के अवर सचिव।

D:\Nide\Vidhanshabha.docx 209 (SOHAN)

(201)

श्री अमित कुमार यादव, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–17.03.2023 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–19 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	श्री अमित कुमार यादव, माननीय स0वि0स0	माननीय प्रभारी मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि वर्ष 1976–78 में बिहार सरकार द्वारा भूमिहीन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को जीविकोपार्जन हेतु जमीन आवंटित किया गया था, परन्तु हजारीबाग जिलान्तर्गत ईचाक बरकट्ठा सहित राज्य के अनु0 जाति/जनजाति के पर्चावली जमीन को वन विभाग द्वारा बाजबरन वन सीमा में शामिल किया गया है, जो सर्वथा अनुचित है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। वन विभाग द्वारा सिर्फ अधिसूचित वनभूमि, जो अवैध रूप से अतिक्रमित है, वैसे भूमि को जाँचोपरांत चिन्हित् कर सक्षम प्राधिकार के द्वारा J.P.L.E. Act के अंतर्गत सुसंगत धाराओं के अधीन कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण से मुक्त किया जाता है।
2	क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा प्रदत्त जमीन पर आंवटन तिथि से ही इन गरीब व्यक्तियों का कब्जा व दखल कायम है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वन भूमि पर निवास करने वाले व्यक्तियों के संबंध में दिनांक 13.12.2005 के पूर्व से वन भूमि में आवासित एवं जोत–आबाद कर रहे परिवारों एवं उक्त तिथि के 75 वर्ष पूर्व से आवासित एवं जोत–आबाद करने वाले परिवारों को वनाधिकार अधिनियम, 2005 के तहत् नियमानुसार वन पट्टा निर्गत किया जाता है ।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार व्यापक लोकहित में राज्य में वन विभाग द्वारा बाजबरन घेरने वाली अनु0 जाति/जनजाति के पर्चावाली जमीन को वन विभाग से मुक्त कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका–1 एवं 2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक :–5/स0भू0 वि0स0 हजारीबाग (अ0सू0)–31/2023...1020...(5)/रा0 राँची, दिनांक 15-03-2023

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0–403/वि0स0, दिनांक–24.02.2023 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय झारखण्ड, राँची/माननीय प्रभारी मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15.3.2023

सरकार के अवर सचिव।